न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 123/17 (RCMS No. 2017/00135) (76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. मु0 केशर पत्नि बजरंगा जाति मीना निवासी ग्राम बौरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर
2. भरत लाल पुत्र बजरंगा जाति मीना निवासी ग्राम बौरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. बदरी पुत्र भूरया जाति मीना निवासी ग्राम बौरदा
2. कैलाश पुत्र भूरया जाति मीना निवासी ग्राम बौरदा
3. रामविलास पुत्र भूरया जाति मीना निवासी ग्राम बौरदा
4. विजयराम पुत्र मथुरा जाति मीना निवासी ग्राम बौरदा
5. सीताराम पुत्र मथुरा जाति मीना निवासी ग्राम बौरदा

तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

6. ग्राम पंचायत आदलवाडा कलां तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
7. तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा निर्णय दिनांक 09.05.2012

उपस्थितिः—

1. श्री श्रीदास सिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री भोला शंकर शर्मा वकील रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय **दिनांकः—08.01.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 09.05.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम बौरदा तहसील चौथ का बरवाडा के नामा0 सं0 70 बजरंगा पुत्र रामरतन की विरासत भरत लाल पुत्र बजरंगा एवं मु0 केसर वेवा बजरंगा के नाम सरपंच ग्राम पंचायत आदलवाडा द्वारा दर्ज की गई। इस नामा0 आदेश के विरूद्ध बदरी वगैरहा ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी कि विवादित आराजी में अपीलान्ट व रैस्पो0 संख्या 1 व 2, 1/2 भाग के खातेदार थे। बजरंगा काफी वर्षों पूर्व लक्ष्मीपुरा तहसील उनियारा जिला टौंक में चला गया था उसकी भूमि को अपीलान्ट काश्त करते चले आ रहे है। रैस्पो0 सं0 1 व 2 मु0 केशर व भरतलाल का कभी कब्जा नही रहा। बजरंगा ने भी कभी काश्त नही की। बजरंगा ने अपने जीवनकाल में दिनांक 31.12.98 को अपीलान्ट

बदरी वगैरहा के नाम वसीयत कर दी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जॉच किये नामा0 तस्दीक किया है। नामा0 वसीयतनामे के आधार पर बद्री वगैरहा के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामा0 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट बदरी वगैरहा के नाम नामा0 दर्ज किया जावे। मु0 केसर ने जबाब पेश किया तथा बजरंगा के वारिस होने के कारण नामा0 सही दर्ज होना बताया तथा अपील खारिज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर यह माना कि बजरंगा ने अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत की है। नामा0 दर्ज करते समय वसीयत की जांच नही की है। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को रिमाण्ड करते हुऐ बसीयत की जांच कर जायज उत्तराधिकारियों के पक्ष में पुनः नामा0 निर्णित करने के निर्देश दिये। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का अवलोकन नही किया। विवादित आराजी उनकी पुश्तैनी आराजी है। इस तथ्य को रैस्पो0 तकासमे के दावे में स्वंय स्वीकार करते हैं। पुश्तैनी आराजी का वसीयतनामा नही किया जा सकता है तथा लिखा हुआ वसीयतनामा महत्वहीन होता है। उनका तर्क है कि उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर में अपीलान्ट ने रैस्पो0 के विरूद्ध तकासमा का दावा पेश किया था जिसमें रैस्पो0 ने वसीयतनामा का तथ्य प्रकट नही किया था इसलिये तथाकथित वसीयतनामा कूटरचित व फर्जी साबित हो जाता है। उक्त दावा 15.02.97 को डिक्री भी हो चुका है। अपीलान्ट मृतक बजरंगा के प्रथम श्रेणी के वारिसान है जिनका हित पुश्तैनी आराजी में जन्म से ही है। ऐसी स्थिति में नामा0 सही दर्ज किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलान्ट ने अपील मियाद बाहर पेश की थी, देरी का कोई संतोषजनक कारण भी नही बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर अपील को अन्दर मियाद मानने में त्रुटी की है। उनका तर्क है कि वसीसत के संबंध में नामा0 की फिसकल प्रोसीडिंग में कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। इसके लिये दावा ही उपचार है। दावे में ही स्वत्व तय हो सकते है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि विवादित आराजी पर बजरंगा का कभी भी कब्जा नही रहा। विवादित आराजी को रैस्पो0 ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। बजरंगा ने रैस्पो0 सं0 1 लगायत 3 के पक्ष में वसीयत की है। वसीयत के आधार पर नामा0 दर्ज किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 तस्दीक करते समय जॉच नही की है। उनका यह भी तर्क है कि वसीयत उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में पेश की है। भरतलाल ने वसीयत के विरूद्ध क्रिमीनल केस दर्ज किया था। जिसमें भरतलाल को न्यायालय में दावे के निर्णय के तहत कार्यवाही कराने के लिये स्वतंत्र व सक्षम बताया था तथा कार्यवाही ड्रोप की गई थी। उनका तर्क है कि वसीयत पर उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तराधिकार व वसीयत की जॉच कर निर्णय के लिये रिमाण्ड किया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा से जाहिर है कि बजरंगा पुत्र रामरतन जाति मीना ने रैस्पो0 सं0 1 लगायत 3 के पक्ष में दिनांक 31.12.98 को वसीयत कर दी थी, जो नोटेरी पब्लिक द्वारा दिनांक 31.12.98 को तस्दीक हुई है। बजरंगा की दिनांक 22.12.2001 को मृत्यु हो चुकी है। बजरंगा के फौत होने पर उसके वारिसान अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक कर दिया गया। जबकि बजरंगा द्वारा रैस्पो0 1 लगायत 3 के पक्ष में वसीयत कर चुका था। चूँकि नामान्तरकरण दर्ज होने के समय वसीयत के संबंध में कोई जॉच नही की है। सरपंच ग्राम पंचायत आदलवाडा कलां तहसील चौथ का बरवाडा ने नामा0 तस्दीक करते समय उत्तराधिकार के संबंध में कोई जॉच नही की है। जबकि उत्तराधिकार के संबंध में जॉच कर ही

नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाडा ने उत्तराधिकार व वसीयत की जॉच कर निर्णय के लिये रिमाण्ड किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.05.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official